निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1928(श०)

(सं० पटना 693) पटना, मंगलवार 29 अगस्त 2006

पत्र संख्या:—3/सी0एस0/एम0—1006/2006 1525 दिनांक:— 29 अगस्त,2006

<u>मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग</u>

:— <u>संकल्प</u> :—

विषय :— सरकार के माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

सरकार के माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये है :—

(1) राज्य सरकार के सभी मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण को मोबाईल फ़ोन की सुविधा देय होगी।

(2) मोबाईल फोन के हैंड सेट की लागत प्रत्येक मामलों में 8000/– रूपये (आठ हजार रूपये) तक सीमित होगी।

(3) इस सुविधा के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष अधिकतम 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक के काल्स का भुगतान देय होगा जो वे अपने विवेकानुसार किसी महीने में उक्त सीमातक अधिक या कम (काल्स) कर सकते हैं।

(4) मोबाईल फोन का क्रय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के लिए निर्धारित कार्यालय व्यय में उपबंधित राशि से किया जा सकेगा। मोबाईल फोन के काल्स पर होने वाले व्यय का वहन माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के स्थापना विभाग द्वारा दूरभाष मद में उपबंधित राशि से किया जा सकेगा।

(5) माननीय मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण का स्थापना विभाग, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य शीर्ष 2013–मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से उक्त व्यय का वहन करेगा। जिस संबंधित विभाग में राशि उपलब्ध न हो वे, वित्त विभाग से सम्पर्क कर अनुपूरक आगणन/बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगें।

(6) प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०)-अस्पष्ट

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 693—आरसी—571—500—